तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.61/2021 श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम जगदीश मोदी व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.6.2022	पत्रावली पेश हुई। श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) जगदीश मोदी पुत्र नारायण भाई मोदी, जाति– घांची, निवासी– चैक पोस्ट, आबूरोड़, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म नाकोडा सुपर स्टोर, चैक पोस्ट, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही एवं प्रतिवादी संख्या–2 (दो) रतनलाल पुत्र श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म गायेल एजेन्सी, विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे उपस्थित। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 23.12.2020 को फर्म नाकोडा सुपर स्टोर, चैक पोस्ट, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जगदीश मोदी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-1339 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./ 1099/ Act/2020/74 दिनांक 07.1.2021 में मिथ्याछाप (Misbranded) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 52 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे उपस्थित हुये एवं प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री पी.एल. दवे ने प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 15.6.2022 को जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की दिनांक 15.6.2022 को ही बहस सुनी गई। जिन्होनें बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी ने चावल के कट्टो को चूहे द्वारा कतरने से दूसरे कट्टों में चावल भरे थे। प्रतिवादी को इस बात की जानकारी नही थी कि यह कृत्य अवैध है। प्रतिवादीगण का यह प्रथम अपराध है। प्रतिवादीगण छोटे व्यापारी है। अतः कम से कम जुर्माना करके [illegible] निस्तारण करावे। हमनें सुनी गई बहस [illegible] किया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर [illegible] अध्ययन एवं अवलोकन किया [illegible] कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.12.2020 को सायं 11.15 पी.एम. प[illegible] ....लगा[illegible]	

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:38 IST
Reason: SelfAttested

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No.61/2021** श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम जगदीश मोदी व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

नाकोडा सुपर स्टोर, चैक पोस्ट, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से जगदीश मोदी पुत्र नारायण भाई मोदी, जाति– घांची, निवासी– चैक पोस्ट, अम्बाजी रोड, आबूरोड़ उपस्थित मिले। जो आम जनता को खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) का विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग आने वाले खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) के अमानक होने का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता जगदीश मोदी को गवाह श्री विशाल सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। दुकान के अन्दर फर्श पर बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) के 9 पैक्ड बैग (प्रत्येक 25 किलोग्राम) में से चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) के 25 किलोग्राम के एक पैक्ड बैग को खोलकर बैग में मौजूद चावलों को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरुप किया एवं इस एक रुप किये हुए चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) में से 4 किलोग्राम चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु एक साफ, सूखे एवं खाली भिगोने में खरीदा एवं चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) की कीमत राशि रुपये 144/– (रुपये एक सौ चौमालीस मात्र) विक्रेता जगदीश मोदी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-1339, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता एवं गवाह को चार साफ, सूखे, खाली प्लास्टिक के जार दिखाये। खरीदशुदा चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) को चारों खाली जारों में बराबर बराबर मात्रा में भरा एवं जारों को ढक्कन से एयरटाईट बन्द किया। तत्पश्चात् प्रत्येक नमूना जारों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) का मूल लेबल एक नमूना जार के साथ रखकर टेप से चिपकाया और चारों नमूना जारों को अलग–अलग कागज में लपेट कर, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कब्जे/जाप्ते [illegible], जिस पर विक्रेता, गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर

.......लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:38 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.61/2021 श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम जगदीश मोदी व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 24.12.2020 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा भावना देवी, वार्ड बॉय, कार्यलय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 23.12.2020 को शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म नाकोडा सुपर स्टोर, चैक पोस्ट, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही में प्रतिवादी जगदीश मोदी से खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-1339 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांकः L.S./1099/Act/2020/74 दिनांक 07.1.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) का नमूना मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी जगदीश मोदी की फर्म नाकोड जनरल स्टोर द्वारा खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) के 25–25 किलोग्राम के पैक्ड बैग को फर्म गोयल एजेन्सीज, विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही से बिल इनवोईस नम्बर 9948 दिनांक 12.12.2020 के द्वारा क्रय किया गया था, जो प्रतिवादी रतल लाल की फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, इसके अनुसार मिथ्याछाप खाद्य सामग्री विक्रय हेतु विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, पैकर व विनिर्माता दोषी है। इस प्रकार,, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण ने मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:38 IST
Reason: SelfAttested

न्याया० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No.61/2021 श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम जगदीश मोदी व अन्य	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा– 52 के तहत मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ चावल (वृन्दावन ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी जगदीश मोदी पुत्र नारायण भाई मोदी, जाति– घांची, निवासी– चैक पोस्ट, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, फर्म नाकोडा सुपर स्टोर, चैक पोस्ट, अम्बाजी रोड, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 5,000/– (अक्षरे रुपये पांच हजार मात्र) का एवं प्रतिवादी रतनलाल पुत्र कन्हैयालाल अग्रवाल, विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं सप्लायर, फर्म गोयल एजेन्सीज, विष्णु धर्मशाला के पास, आबूरोड़, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, प्रतिवादीगण को आदेशित किया जाता है कि उन पर आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में अलग अलग Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 15 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादीगण को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 13.7.2022 को पेश हो। (के.आर.खौड) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (न्याय निर्णयन अधिकारी) सिरोही	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2022.06.27 18:08:38 IST
Reason: SelfAttested